सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

प्रवीण बनाम वेदप्रकाश वगैरा व स्टेट

अपील प्रकरण सं0 88 / 2017

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
3.12.2017	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2010 क्रमांकः / भू.अ. / 10 / 19 विशेष राजस्व अभियान 2010 की रूह से चक 11 क्यू के मुरब्बा नम्बर 33,34 के किलावाईज बंटवारा रेस्पोडेन्टान नम्बर 1 ता 3 अपीलांट को बिना सूचित पारित किया गया को खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया है। प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलधीन इन्तकाल तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा किये गए आपसी सहमति से बंटवारे के निर्णय के विरूद्व है। विभाजन के आदेश/निर्णयनुसार तीन रिकॉर्डेड खातेदारों ने अपनी आपसी सहमति से जोत विभाजित करवाई है। अपील प्रस्तुतकर्ता प्रवीण पुत्र हीराराम राजस्व रिकार्ड में खातेदार नहीं है और उस निर्णय में पक्षकार भी नहीं है। लिहाजा अपील maintanable ही नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	

आदेश सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।